

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक:- एफ. 7(6) निपसिड/नई दिल्ली/प्रशि./आईसीडीएस/17/ 200616

जयपुर, दिनांक: 26.12.17

कार्यालय आदेश

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड), नई दिल्ली द्वारा दिनांक 02 जनवरी, 2018 से 04 जनवरी, 2018 तक "प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) पर अनुशिक्षण कार्यक्रम" हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को नामांकित कर उक्त प्रशिक्षण में भाग लेने के निर्देश प्रदान किये जाते हैं। नामांकित अधिकारी दिनांक 02.01.2018 को प्रातः 9:00 बजे तक राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड), नई दिल्ली स्थित परिसर में आवश्यक रूप से उपस्थिति दें।

1. श्री महेश चन्द्र गुप्ता, उपनिदेशक, अलवर
2. श्री ओमप्रकाश सैनी, उपनिदेशक, भीलवाड़ा
3. श्री प्रवेश कुमार सोलंकी, उपनिदेशक, हनुमानगढ़
4. श्री नितेश यादव, बाल विकास परियोजना अधिकारी, अजमेर
5. श्री उषा यादव, बाल विकास परियोजना अधिकारी, जयपुर -तृतीय
6. श्री नितिन गहलोत, बाल विकास परियोजना अधिकारी, सिरोही
7. श्री नन्दलाल मेघवाल, बाल विकास परियोजना अधिकारी, मावली(उदयपुर)
8. श्री बिजेन्द्र सिंह राठौड़, बाल विकास परियोजना अधिकारी, चिड़वा (झुन्झुनू)
9. श्रीमती धर्मिष्ठा, बाल विकास परियोजना अधिकारी, गिरवा (उदयपुर)
10. श्री शक्ति सिंह कच्छवा, बाल विकास परियोजना अधिकारी, बीकानेर ग्रामीण (बीकानेर)
11. श्री रविन्द्र लालस, बाल विकास परियोजना अधिकारी, रामसर (बाड़मेर)
12. श्री गोपाल जागिड़, बाल विकास परियोजना अधिकारी, भोपालगढ़ (जोधपुर)

प्रशिक्षणार्थियों को टी.ए./डी.ए. का भुगतान उनकी पात्रता अनुसार संस्थान के नियमानुसार किया जाएगा जोकि भारत सरकार के अनुरूप हैं। नियमानुसार रेल किराया/बस किराए (एसी/डीलक्स कोच) की प्रतिपूर्ति टीए बिल के साथ टिकट का प्रमाण प्रस्तुत करने के बाद ही की जाएगी। हवाई यात्रा किराया : जो पात्र अधिकारी (5400/- रुपये या अधिकारी ग्रेड पे, छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार) हवाई जहाज द्वारा यात्रा करना चाहते हैं वे सिर्फ एयर इंडिया(इकोनोमी क्लास) द्वारा ही यात्रा करें और हवाई यात्रा की टिकटें सीधे एयरलाइन्स से (बुकिंग काउंटर/एयरलाइन्स की वेबसाइट) अथवा प्राधिकृत ट्रैवल एजेंटों जैसे मै. बालमेर लॉरी एंड कंपनी, मै. अशोक ट्रैवल्स टूअर्स और आईआरसीटीसी से खरीदी जानी चाहिए। भारतीय रेलवे को दिया गया तत्काल शुल्क संस्थान द्वारा भुगतान नहीं किया जा सकेगा।

(यु.ए.न.)
निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:- एफ. 7(6) निपसिड/नई दिल्ली/प्रशि./आईसीडीएस/17/200617-653 जयपुर, दिनांक: 26.12.17
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. एम.ए. इमाम, निदेशक, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड), 5, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, हौज खास, नई दिल्ली-110016
2. संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्.....
3. संबंधित उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग
4. संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएँ
5. उपनिदेशक/एसीपी, कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।

उप निदेशक (प्रशिक्षण)
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर।